न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 59/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2023/58

उनवान

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट्स
मूलाराम पुत्र श्री खिमाराम, जाति मीणा, निवासी ग्राम पावा, तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज.	बनाम	राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, उप तहसील तखतगढ़, जिला पाली राज.

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध आदेश दिनांक 07.07.2023 राजस्व विविध प्रकरण संख्या 06/2023 जरिये हल्का पटवारी पावा बनाम मूलाराम में न्यायालय नायब तहसीलदार तखतगढ़ द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने बाबत्।

–:निर्णय:–

उपस्थिति :– अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित

दिनांकः 11.06.2024

अपीलांट ने एक अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश दिनांक 7 जुलाई 2023 राजस्व विविध प्रकरण संख्या 06/2023 जरिए हल्का पटवारी पावा बनाम मूलाराम में न्यायालय नायब तहसीलदार तखतगढ़ द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने बाबत प्रस्तुत की। अपील अनुसार हल्का पटवारी पावा द्वारा गैर सायल मूलाराम पुत्र खीमाराम के विरुद्ध ग्राम पावा के खसरा नंबर 1486 रकबा 0.80 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकिन खड्डा में से 0.02 हेक्टेयर भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार तखतगढ़ के समक्ष प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने गैरसायल अपीलांट के अनपढ़ होने की वजह से उक्त प्रकरण में जवाब व सुनवाई का अवसर दिए बिना ही दिनांक 7 जुलाई 2023 को अपीलांट के विरुद्ध तीन माह का सिविल कारावास एवं रहवासी मकान से बेदखल किए जाने व 200 रूपये का जुर्माना आरोपित किया जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत है।

अपीलांट अनपढ़ है जो अधीनस्थ न्यायालय के तामिल नोटिस की पालना में 24 फरवरी 2023 को प्रथम बार न्यायालय में उपस्थित होने पर अपीलांट को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना ही उसी दिन दिनांक 24.2.2023 को आदेशिका में फैसल शुमार पत्रावली का उपरोक्त आदेश कर दिया और दिनांक 7 जुलाई 2023 को अपीलांट की अनुपस्थिति में उक्त अपिलाधिन आदेश किया जो विधि विरुद्ध है और निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलांट का ग्राम पावा के उक्त खसरा नंबर में 32 वर्षों से रहवासी मकान बना हुआ है और इसके अलावा अपीलांट का कोई रहवासी मकान नहीं है। उक्त भूमि पर अन्य व्यक्तियों के भी मकान बाड़े इत्यादि है और ग्राम पंचायत द्वारा कुछ व्यक्तियों को पट्टे भी जारी किए गए हैं। प्रार्थी अपीलांट को भी पंचायत पट्टा जारी कर सकती है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाए और अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 7 जुलाई 2023 को निरस्त कर अपीलांट के 32 वर्षों के कब्जे के आधार पर उक्त रहवासी मकान का नियमन/आवंटन या पट्टा जारी करने का न्याय हित में आदेश फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया मूल् रेकार्ड प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया। अपीलांट अधिवक्ता ने अपनी वक्त बहस निवेदन किया कि उक्त भूमि खसरा नंबर 1486 ग्राम पावा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पावा शिक्षा विभाग के नाम पर आवंटित है अतः राजस्व अधिकारी को इस भूमि के संबंध में राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत धारा 91 के अंतर्गत कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है इसके लिए न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1976 पृष्ठ संख्या 9 राजस्थान सरकार बनाम कल्याण प्रसाद प्रस्तुत किया जिसमें न्यायालय ने यह माना कि प्रकरण में नगर पालिका द्वारा कोई एप्लीकेशन प्रस्तुत नहीं किया इसलिए तहसीलदार कोई कार्यवाही धारा 91 एल आर एक्ट 1956 में नहीं कर सकता। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त किया जावे।

अति. जिला कलक्टर
बाली (पाली)

P.T.O.

CamScanner

हमने प्रस्तुत अपील सलग्न दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत बहस पर गंभीरता से मनन किया एवं इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उक्त अतिक्रमित भूमि की किस्म गैर मुमकिन खड्डा है एवं यह राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षा विभाग को आवंटित भूमि है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर लागू नहीं होता क्योंकि शिक्षा विभाग भी राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण भाग है एवं इसकी भूमि के संरक्षण का दायित्व भूमि धारक की हैसियत से तहसीलदार को है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं रहती। अपीलांट यदि चाहे तो शिक्षा विभाग को आवंटित भूमि के संबंध में आवंटन आदेश के विरुद्ध सक्षम न्यायालय से इमदाद प्राप्त कर सकता है।

अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड लौटाया जावे। निर्णय सुनाया गया।

11/6/24

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली, जिला पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)